प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र0सु0रि0स0 07
   दिनांक 15.10.2013
2. धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 15.10.2013
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 15.10.2013 समय 5:35 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 14
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) थाने से दिशा एंव दूरी करीब 4 कि0मी0 पूर्व सैक्टर–9, पंचकूला
6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता
   नाम नवीन शर्मा
   पिता का नाम श्री जय प्रकाश
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय ठेकेदार
   पता मकान न0–225 चार चमन करनाल

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण :–
   अमित कुमार मण्डी सुपरवाईजर मार्किट कमेटी रायपुरानी
   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे श्रीमान जी थाना प्रबन्धक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला (ह) विषयः–अमित कुमार मण्डी सुपरवाईजर रायपुररानी जिला पंचकूला द्वारा सरकारी काम की एवज मे रिश्वत मांगने बारे । श्रीमानजी, निवेदन यह है कि मै नवीन शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश वासी मकान न0 225, चारचमन करनाल का रहने वाला हूँ लेबर वेलफेयर संघ (रजि)संस्था का संचालक हूँ। इस संस्था के नाम मैने मार्किट कमेटी रायपुररानीद्वारा निकाले गये टैण्डरो के आधार परमण्डी मे सफाई सेवायें प्रदान करने के लिए अक्तूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक मार्किट कमेटी रायपुररानी के सफाई का ठेका अलाट हुआ था । जो यह ठेका पुरा होने मे फाईनल पेयमैन्ट ले चुका हूँ । इस कार्य के पिछले टैण्डर रेट पर आगे एक साल के लिए बरकार रखने के लिए मैने सचिव रायपुररानी मार्किट कमेटी को एक लिखित दरखास्त दे कर

निवेदन किया था । उस के कुछ दिन बाद अमित कुमार मण्डी सुपरवाईजर ने मुझे पंचकूला बुलाया कि यदि आपने आगे एक वर्ष तक ठेका लेना है तो इस कार्य के लिये उसे अमित कुमार 10,000/–रू0 रिश्वत देनी पड़ेगी और वह ठेका उच्च अधिकारियों से सैटिंग करके मुझे दिलवा देगा । और यदि रिश्वत नही दी तो यह ठेका वह किसी और ठेकेदार को दिलवा देगा । मै उसे यह रिश्वत की राशि नही देना चाहता और यदि नही दूंगा तो अमित कुमार मेरे सफाई के ठेके की रिन्यूल की फाईल को रिजैक्ट करवा देगा । मै यह रिश्वत की राशि 10,000रू0 अमित कुमार मण्डी सुपरवाईजर रायपुररानी को देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। कृप्या करके अमित कुमार के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे। आप की अति कृपा होगी । हस्ताः–नवीन शर्मा, नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश वासी मकान 225, चारचमन करनाल 1320011 मो0न0– 9896745865 दिनांक 15.10.13 स्थान पंचकूला कार्यवाही पुलिसः– **आज मन निरीक्षक** मय मुलाजमान निरीक्षक राजपाल एस.आई.पूर्ण सिंह न0 2/17, सि0 जसबीर सिंह न0 518/कुरूक्षेत्र, सि0 रविन्द्र कुमार न0 1937/गुड़गांव, सि0 राजेन्द्र सिंह न0 1126 हिसार, बा सवारी गाड़ी सरकार एच.आर 03 एल–6883 चालक एच.सी. श्यामलाल 289/पंचकूला बराए विजिलैंस वर्क सै0 6 पंचकूला हाजिर था कि अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शर्मा उपरोक्त ने मुख्यालय रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के गेट पर मुलाकि होकर एक लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की जो दरखास्त उपरोक्त की तसदीक पर सूरत जुर्म 7 पी0सी0एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाता है रेडिंग पार्टी तैयार की गई दरखास्त उपरोक्त पर अभियोग अकिंत करवाने के लिए सिपाही रविन्द्र कुमार न0 1937/गुड़गांव, को थाना रा0 चौ0 ब्यूरो सै0 17 भेजा जा रहा है मुकदमा दर्ज करने उपरान्त न0 मुकदमा से सूचित किया जाये नकूलात प्रथम सुचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जाये नकल मिसल पुलिस व असल तहरीर बरमौका भेजी जाये । मन निरीक्षक मय मुलाजमान मय मुदई व तफतीशी बैग हमराह लेकर बासवारी गाडी सरकारी बराए लेने रेड अनुमति व नियुक्ति डयूटी मैजिस्ट्रेट व छाया गवाह कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का रवाना होता हूँ Sd/- सुरेश कुमार निरीक्षक थाना रा0चौ0ब्यूरो सै0–17, पंचकूला दिनांक 15.10.13 At:04:35 PM अज थाना उपरोक्त तहरीर पर अभियोग अकिंत करके स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व नकुलात एफ0आई0आर0 अफसरान बाला की सेवा मे भेजी जा रही है। मिसल पुलिस व असल तहरीर बरमौका बदहस्त सिपाही रविन्द्र कुमार न0 1937/गुड़गांव भेजी जा रही है।

बादस्त सि0 रविन्द्र कुमार न0 1937/गुड़गांव

हस्ता/–
ए.एस.आई रामनिवास